

नोटिस

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम -13 के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी, जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है। किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म की संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1	सर्वश्री महिमा खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ग्राम-हजरतपुर, रामपुर	फार्म-"सी" संख्या-0456956 एवं 0456957	खोने के कारण	02
2	सर्वश्री यूनाइटेड एजेन्सी जी०टी० रोड, अलईपुरा, वाराणसी	फार्म-"सी" संख्या-1988079	खोने के कारण	01
3	मेसर्स स्वान ट्रेडिंग क०, जाजमऊ कानपुर	फार्म-"सी" संख्या--18--0022059	खोने के कारण	01
4	मे० श्री विष्णु एसएस 3/175 विष्णुपुरी कानपुर	फार्म-"सी" संख्या-0372953	खोने के कारण	01
5	मे० रायल होजरी दशाश्वमेध, वाराणसी	फार्म-"सी" संख्या--0223840	खोने के कारण	01
6	मे० कसल पम्पस प्रा०लि०, 131 किशन कम्पाउण्ड मेरठ	फार्म-"सी" संख्या--UPIT/C-2006-2-1460703	खोने के कारण	01
7	मे० गोल्ड वाटर फामूलेशन इंडिया 229A आदर्श नगर जाजमऊ कानपुर	फार्म-"सी" संख्या--1411971 से 1411980	खोने के कारण	10
8	मे० कंकरीट उद्योग लि० बिजौली झांसी	फार्म-"सी" संख्या--630925	खोने के कारण	01
9	मे० गोयल क्वायर फोम (इ०) प्रा०लि० रजऊपरसपुर बरेली	फार्म-"सी" संख्या--0498608	खोने के कारण	01
10	सर्वश्री बनारस स्टील ट्रेडर्स तेलियाबाग वाराणसी	फार्म-"सी" संख्या--26-237923 एवं 237924	खोने के कारण	02
11	सर्वश्री अग्रवाल मार्बल, रोहटा रोड, मेरठ	फार्म-"सी" संख्या-512826 व 512830	खोने के कारण	02
12	सर्वश्री कनोहर इलेक्ट्रिकल्स, रिखनी मेरठ	फार्म-"डी" पुस्तक सं०-1 का क्रम सं०-5	खोने के कारण	01

(प्रकाश चन्द्र)

एडीशनल कमिशनर (विधि)वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- 4- महालेखाकार, उ०प्र० 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद।
- 5- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य इलाहाबाद, लखनऊ।
- 9- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 11- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- 12- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ।


(सुशील कुमार दुबे)

वाणिज्य कर अधिकारी (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय।

9C